न्यायालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/65/2025	2025/118	02.06.2025	25.08.2025

1. जी.एस.एस. सौख, उचित मूल्यक दुकानदार, पोरा कोड 28408, ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज0) जरिये व्यवस्थापक मनीष शर्मा

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

—रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्रकरण संख्या 01/2025 निर्णय दिनांक 17.04.2025 जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 525/1973 पोस कोड सं0 28408 विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया।

उपस्थितः—
01—श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलांट
02—श्री विजयपाल सिंह यादव (प्रवर्तन निरीक्षक) —विभागीय पैरोकार

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:निर्णयः—

अपीलांट जी.एस.एस. सौख, उचित मूल्यक दुकानदार, पोस कोड 28408, ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर, जिला अलवर (राज0) जरिये व्यवस्थापक मनीष शर्मा अपील विरूद्व जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 17.04.2025 प्रकरण संख्या 01/2025 द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0 525/1973 पोस कोड सं0 28408 विधि विरूद्व तरीके से निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपील हाजा मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध पेश की जा रही है, जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 17.04.2025 को प्रकरण संख्या 01/2025 बउनवान सरकार बनाम जीएसएस सौंख में यह निर्णय पारित किया है कि "अतः जीएसएस सौंख, उचित मूल्य दुकानदार, पोस कोड 28408, ग्राम पंचायत सौंख, तहसील कठूमर, जिला अलवर को जारी प्राधिकार पत्र की समस्त देनदारियां लंबित रखते हुए निरस्त किया जाता है। उक्त उचित मूल्य दुकान की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है। साथ ही अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध श्रीमान उपायुक्त (द्वितीय) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक— एफ 77 (13) खावि/न्याय/2012—11 जयपुर दिनांक 27.01.2021 के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी डीलर द्वारा गबन की गई राशन सामग्री की शेष मात्रा की राशि की वसूली की कार्यवाही पी.डी.आर. एक्त 1952 के अन्तर्गत किये जाने की कार्यवाही पृथक से अमल में लाई जावे।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध अपील हाजा पेश की जा रही है, जिस निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.05.2025 को मातहत जिला रसद अधिकारी कार्यालय में आने पर हुई, जिस पर

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

आलोच्य एकपक्षीय निर्णय की प्रति वास्ते विधिवत आवेदन पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 15.05.2025 को प्राप्त हुई। नकल मिलने उक्त 02 दिन के समय को मुजरा किये जाने एवं दिनांक 17.05.2025 व 18.05.2025 को शनिवार व रविवार का अवकाश के दिनों को मुजरा दिये जाने के उपरान्त अपील हाजा अन्दर अवधि पेश की जा रही है।

जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एकपक्षीय है, जो कि अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की बाबत रेस्पोडेन्ट के मातहत अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षण कठूमर के द्वारा दिनांक 13.08.2024 को जांच कार्यवाही की जाकर तैयार की गई जांच रिपोर्ट में पोस मशीन संख्या 28408 का स्टॉक मिलान करने व भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज स्टॉक गेहूं, चना, उचित मूल्य सामग्री समस्त स्टॉक पूर्ण मिला था, तत्समय कोई अनियमितता नहीं पाई गई। व्यवस्थापक जीएसएस सौंख द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर को तत्समय बता दिया गया था कि माह अप्रेल 2024 में परिवहनकर्ता की मुनीम/प्रतिनिधि हेमन्त द्वारा जरिये मोबाइल बताया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकाने के लिये 7190 किग्रा गेहूं का आवंटन हुआ है, जो गेहूं कांटा करवाकर उसके द्वारा रवाना कर दिया गया है, अपीलान्ट माह अप्रेल 2024 के आवंटित गेंहू को पोस मशीन में रिसीव कर लेवें, जिस पर अपीलान्ट के द्वारा नेकनियति से परिवहनकर्ता के मुनीम हेमन्त की बातों पर विश्वास करते हुए माह अप्रेल 2024 का उचित मूल्य दुकान वास्ते आवंटित 7190 किग्रा गेंहूं भौतिक रूप से प्राप्त ना होने के बावजूद पोस मशीन में रिसीव कर लिया गया था, जो गेहूं आज तक अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ है, जिन बातों को जांचकर्ता द्वारा अपनी फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.08.2024 में वर्णित किया गया है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार को माह अप्रेल 2024 का आवंटित 7190 किग्रा गेंहू भौतिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी शिकायत अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, अलवर को लिखित में दिनांक 26.04.2024 को दे दी गई थी, जिस पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई करने वाले सप्लायर ठेकेदार विनोद शर्मा एवं उनके प्रतिनिधि हेमन्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप में कार्यवाही अमल में लाई जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।

प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर विजयपाल यादव द्वारा जांच के दौरान तैयार फर्द मौका दिनांक 13.11.2024 में पास मशीन संख्या 28408 में दर्ज स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर सही पाया गया है। अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान के लिये माह सितम्बर 2024 व अक्टूबर 2024 में आवंटित उचित मूल्य सामग्री गेहूं क्रमशः 5938 किग्रा व 1199 किग्रा गेहूं कुल 7137 किग्रा गेहूं का अपीलान्ट द्वारा पोस मशीन में Send to POS नहीं किया गया। अपीलान्ट के व्यवस्थापक द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक को बताया गया कि सप्लायर ठेकेदार द्वारा उक्त दो माह अर्थात सितम्बर व अक्टूबर 2024 का आवंटित गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया है इसलिये Send to POS नहीं किया गया है। जब अपीलान्ट को भौतिक रूप से गेहूं प्राप्त ही नहीं हुआ तो उस सूरत में अपीलान्ट Send to POS नहीं कर सकता है, जो तथ्य गौर श्रीमान है।

प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर द्वारा अपीलान्ट जीएसएस की बाबत तैयार की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 में यह भी दर्ज किया गया है कि माह सितम्बर व अक्टूबर 2024 की गेहूं प्राप्ति के संबंध में कोई बिल, बिल्टी प्राप्त नहीं हुए है, नाही व्यवस्थापक जीएसएस के द्वारा गेहूं प्राप्ति की कोई रिसीव दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि जब अपीलान्ट के पास माह सितम्बर व अक्टूबर 2024 का आवंटित कुल गेहूं 7137 किग्रा गेहूं प्राप्त ही नहीं हुआ, जिस कारण से पोस मशीन संख्या 28408 में Send to POS किया जाना संभव नहीं है, जिस कारण से मिन अपीलान्ट द्वारा कोई किसी प्रकार से गेहूं गबन नहीं किया गया है, जिन तथ्यों पर मातहत अदालत ने समुचित गौर नहीं किया, ना ही आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। बल्कि मनमाने रूप से एकपक्षीण निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उचित मूल्य सामग्री के जिला सप्लाई विभाग का माह सितम्बर 2024 का अलॉटमेन्ट आदेश में अपीलान्ट जीएसएस सौंख को माह सितम्बर व अक्टूबर 2024 में कुल 7137 किग्रा गेहूं आवंटित किया गया जो आवंटित गेहूं अपीलान्ट जीएसएस सौंख पर पहुंचाने वाले सप्लायर ठेकेदार विनोद शर्मा व उसके प्रतिनिधि हेमन्त द्वारा जीएसएस सौंख पर आवंटित गेहूं नहीं पहुंचाया गया, जिसकी शिकायत मातहत अधिकारी से किये जाने के बावजूद भी मातहत अधिकारी एवं उसके अधिनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा सप्लायर विनोद शर्मा को बचाने के उद्देश्य से विनोद शर्मा के द्वारा गेहूं के गबन की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई अपितु बेजा व मनगढंत तथ्यों पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण बनाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो निर्णय उक्त आधार पर अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है।

जब अपीलान्ट के पास गेहूं प्राप्त नहीं हुआ, ना ही अपीलान्ट की कोई गेहूं प्राप्ति रसीद है तो उस स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी प्रकार का गेहूं के गबन का प्रकरण नहीं बनता है, जिस कारण से भी अपीलान्ट के पीडीआर एक्ट 1952 के तहत कार्यवाही का कोई न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है, जिस कारण से भी आलोच्य निर्णय अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है।

मातहत अधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया था, जिस नोटिस का विस्तृत तथ्यों पर जवाब नोटिस दिनांक 20.03.2025 को मिन अपीलान्ट द्वारा मातहत अदालत ने समुचित गौर ना कर आलोच्य निर्णय एकपक्षीय रूप में पारित किया गया है, जो कि अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है।

अपीलान्ट जीएसएस के विरूद्ध कभी कोई शिकायत किसी उपभोक्ता की नहीं रही है। मिन अपीलान्ट जीएसएस को राज्य सरकार से आमजन उपभोक्ताओं को वितरित करने वास्ते जो उचित मूल्य सामग्री समय–समय प्रदान की जाती है, वो समस्त उचित सामग्री का वितरण सही समय पर उचित मात्रा में उपभोक्ताओ को प्रदान करवाया जाता रहा है। उपभोक्ताओं के प्रति जीएसएस उचित मूल्य दुकान की सेवाओं में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या लापरवाही किसी प्रकार से नहीं रही है। मातहत कार्यालय जिला रसद अधिकारी के अधिकारियों कर्मचारियों की सप्लायर ठेकेदार से मिल्लत के चलते मातहत अधिकारी द्वारा एकपक्षीय रूप में समस्त कार्यवाही को अंजाम दिया जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है।

अपीलान्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति, सौंख वर्ष 1962 की रजिस्टर्ड संस्था है, जो काश्तकारों को कृषि की, खाद बी की सेवा मुहैया कराती है एवं उचित मूल्य सामग्री की दुकान प्राधिकार पत्र वर्ष 1973 से प्राप्त किया जाकर उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करती चली आ रही है। अपीलान्ट जीएसएस सौंख का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट संस्था के सुचारू रूप से संचालन में भारी परेशानी उत्पन्न होगी एवं संस्था के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो जावेगा। उचित मूल्य सामग्री के विवरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट संस्था क्रियान्वित होती है एवं अपीलान्ट संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त रहने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। न्यायहित में अपीलान्ट जीएसएस सौंख का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है।

प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.04.2025 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2025 बउनवान सरकार बनाम जीएसएस सौंख में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 17.04.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट (पॉस कोड 28408) का प्राधिकार पत्र संख्या 525/1973 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए उचित मूल्य दुकान जीएसएस सौंख, ग्राम पंचायत सौंख, तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0) के उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण

कलक्टर
अलवर (राज0)

(सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश जो भी अपीलान्ट के पक्ष में माननीय उचित समझे प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि दिनांक 13.08.2024 को वक्त जांच अगस्त माह का 7479 किग्रा गेहू रोंड टू पॉस नहीं करने के संबंध में पूछने पर अगस्त माह की आपूर्ति होना बताया गया लेकिन अप्रेल 2024 माह के आवंटित गेहूं मे से 7190 किग्रा गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई लेकिन पॉस में रोंड टू पॉस कर लिया गया। माह अप्रेल 2024 का आवंटित गेहूं आपूर्ति नहीं होने के बाद भी रोंड टू पॉस करने के संबंध मे पूछने पर अवगत कराया कि परिवहनकर्ता के मुनीम/प्रतिनिधि हेमन्त द्वारा ट्रेक्टर का कांटा कराकर गेहूं रवाना करना बताया साथ ही रिसीव करने को कहां गया। व्यवस्थापक द्वारा स्वयं गेहूं को रिसीव करना अवगत कराया लेकिन भौतिक रूप से जांच दिनांक तक आपूर्ति नहीं होना अवगत कराया। बाद में अगस्त माह का गेहूं सेंड टू पॉस कर लिया गया। विभागीय आदेशानुसार उचित मूल्य दुकानदार के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है तथा गेहूं भौतिक रूप से गोदाम पर पहुंचने के बाद ही गेहूं पॉस में डीलर द्वारा सेंड टू पॉस किया जाता है लेकिन जीएसएस के व्यवस्थापक द्वारा गेहूं बिना पहुंचे ही सेंड टू पॉस किया गया जो ट्रांसपोर्टर/प्रतिनिधि से मिलीभगत प्रतीत होती है। निगम कार्यालय से दिनांक 27.06.2024 को जरिये मेल गेहूं आपूर्ति की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने के लिये लिखा गया था। आज दिनांक तक निगम कार्यालय को रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई है। उचित मूल्य दुकान जीएसएस सौंख की दिनांक 13.11.2024 को मौके पर जाकर सेंड टू पॉस नहीं करने के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक कठूमर द्वारा जांच की गई जीएसएस के व्यवस्थापक से सितम्बर 2024 व अक्टूबर 2024 पेटे आवंटित गेहूं में से क्रमशः 5938 किग्रा एवं 1199 किग्रा कुल 7137 किग्रा गेहूं सेंड टू पोस नहीं करने के संबंध में पूछने पर परिवहनकर्ता द्वारा अपूर्ति नहीं करना अवगत करवाया गया। इस संबंध में परिवहनकर्ता से आपूर्ति के संबंध में पूछने पर सितम्बर व अक्टूबर की पूर्ण सामग्री आपूर्ति करना बताया गया। आपूर्ति के संबंध में प्राप्ति रसीद उपलब्ध करवा दी गई। जीएसएस के व्यवस्थापक मनीष शर्मा द्वारा माह सितम्बर का 5938 किग्रा गेहूं माह अक्टूबर 2024 का 1199 किग्रा गेहूं कुल 7137 किग्रा गेहूं आपूर्ति के पश्चात भी सेंड टू पॉस नहीं किया गया। उक्त गेहूं अटेच डीलर रामस्वरूप सैनी द्वारा पॉस मशीन में रिसीव किया गया तथा 04 किग्रा गेहूं पूर्व स्टॉक की भी सुपुर्दगी नहीं दी गई इस प्रकार कुल 7137+4=7141 किग्रा गेहूं नहीं दिया गया है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जीएसएस के व्यवस्थापक मनीश शर्मा की रहेगी।

उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या 8, 11 व 18 एवं राष्ट्रीय खाद्यान्न अधिनियम 2023 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस सौंख श्री मनीष पॉस कोड संख्या 28408 वक्त जांच दिनांक 13.08.2024 के माह अगस्त का 7479 किग्रा गेहूँ सेंड टू पोस नहीं करने पर बताया गया कि माह अप्रैल 2024 में आवंटित गेहूँ 7190 किलोग्राम की आपूर्ति नहीं हैं। परिवहनकर्ता के मुनीम/प्रतिनिधि हेमन्त द्वारा ट्रेक्टर का कांटा कराकर गेहूं रवाना करना बताया साथ ही रिसीव करने को कहां गया। व्यवस्थापक द्वारा स्वयं गेहूं को रिसीव करना अवगत कराया लेकिन भौतिक रूप से जांच दिनांक तक आपूर्ति नहीं होना पाया गया। बाद में अगस्त माह का गेहूं सेंड टू पॉस कर लिया गया। विभागीय आदेशानुसार उचित मूल्य दुकानदार के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती है तथा गेहूं भौतिक रूप से गोदाम पर पहुंचने के बाद ही गेहूं पॉस में डीलर द्वारा सेंड टू पॉस किया जाता है लेकिन जीएसएस के व्यवस्थापक द्वारा गेहूं बिना पहुंचे ही सेंड टू पॉस किया गया जो ट्रांसपोर्टर/प्रतिनिधि से मिलीभगत प्रतीत होती है। निगम कार्यालय से दिनांक 27.06.2024 को जरिये मेल गेहूं आपूर्ति की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने के लिये लिखा गया था। आज दिनांक तक निगम कार्यालय को रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रवर्तन अधिकारी कठूमर की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अनुसार मौके पर जाकर सेंड टू पॉस नहीं करने के संबंध में जीएसएस के व्यवस्थापक से सितम्बर 2024 व अक्टूबर 2024 पेटे आवंटित गेहूं में से क्रमशः 5938 किग्रा एवं 1199 किग्रा कुल 7137 किग्रा गेहूं सेंड टू पोस नहीं करने के संबंध में पूछने पर परिवहनकर्ता द्वारा आपूर्ति नहीं करना अवगत करवाया गया। इस संबंध में परिवहनकर्ता से आपूर्ति के संबंध में पूछने पर सितम्बर व अक्टूबर की पूर्ण सामग्री आपूर्ति करना बताया गया। आपूर्ति के संबंध में प्राप्ति रसीद उपलब्ध करवा दी गई। जीएसएस के व्यवस्थापक मनीष शर्मा द्वारा माह सितम्बर का 5938 किग्रा गेहूं माह अक्टूबर 2024 का 1199 किग्रा गेहूं कुल 7137 किग्रा गेहूं आपूर्ति के पश्चात भी सेंड टू पॉस नहीं किया गया। उक्त गेहूं अटेच डीलर रामस्वरूप सैनी द्वारा पॉस मशीन में रिसीव किया गया तथा 04 किग्रा गेहूं पूर्व स्टॉक की भी सुपुर्दगी नहीं दी गई इस प्रकार कुल 7137+4=7141 किग्रा गेहूं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जीएसएस के व्यवस्थापक मनीश शर्मा को दी गई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व जांच रिपोर्ट 13.08.2024 मे अंकित माह अप्रेल 2024 को आवंटित गेहूं मे से 7190 किग्रा गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई लेकिन पॉस में सेंड टू पोस कर दिया गया। उक्त गेहूं से संबंधित आपूर्ति कब की गई उसके संबंध में निगम द्वारा कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराये जाने पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है एवं इसी प्रकार जांच रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 में अपीलांट द्वारा माह सितम्बर का 5938 किग्रा गेहूं एवं माह अक्टूबर 2024 का 1199 किग्रा गेहूं कुल 7137 किग्रा गेहूं अपीलांट जीएसएस सौंख के गोदाम तक आपूर्ति नहीं पहुंचने पर सेंड टू पॉस नहीं किया गया जो अटेच डीलर श्री रामस्वरूप सैनी द्वारा पॉस मशीन में रिसीव किया गया। साथ ही, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड अलवर की रसीद संख्या 14385467 दिनांक 11.09.2024 में गेहूं 1199 किग्रा की रसीद पर श्री रामस्वरूप सैनी के हस्ताक्षर किये गये है। उक्त 7137 किग्रा गेहू अपीलांट के द्वारा गबन करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न पत्रावली नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि जीएसएस सौंख द्वारा कुल 7137 किग्रा गेहूं का गबन किया गया है जिसकी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी का निर्णय दिनांक 17.04.2025 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति पेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर राजस्थान